सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 18.07.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 14 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 02 भूमि विवाद, 02 परिवारिक विवाद तथा शेष 10 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से आयुध अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 17-07-2025 को वाद संख्या **1710**/20**02** मु0अ0सं0 **32/2000** धारा- **4/25** आयुध अधिनियम मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त शिवनाथ साहनी पुत्र केदार साहनी निवासी हयबड़वाल टोला पनियहवा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी 02 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,300-1,300/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 17-07-2025 को वाद संख्या 1382/2002 मु0अ0सं0 11/2001 धारा- 323,504 भादवि मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 1. पुजारी पुत्र अवधु, 2. श्रीमती उजरा पत्नी पुजारी निवासीगण हरनी खुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,300-1,300/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर मे महात्मा गौतम बुद्ध उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया।

◆ जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.07.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर मे महात्मा गौतम बुद्ध उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओ को मिशन शक्ति के तहत जागरुक किया गया तथा योगमाता मंदिर, करौंदा मशीना, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही ।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-म0उ0नि0 शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर

02.महिला मुख्य आरक्षी कंचन सिंह एण्टी रोमियो स्क्वायड

03. महिला मुख्य आरक्षी सुनीता यादव एंटी रोमियो स्क्वायड

04.महिला मुख्य आरक्षी मधु भारती एंटी रोमियो स्क्वाड

05. महिला आरक्षी मंजू भारती एंटी रोमियो स्क्वाड

06. आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्क्वायड

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 17-07-2025 **को वाद संख्या** 1450/20**02 एनसीआर नं0 136/1994 धारा- 323,504,352 भादवि थाना उसका बाजार मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मुन्सफ पुत्र बैताली निवासी ससनी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।**

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोपी 02 अभियुक्तगण को 01 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 18-07-2025 को वाद संख्या 665/2024 मु0अ0सं0 126/2022 धारा- 379,411 भादवि थाना इटवा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री शिवेन्द्र शर्मा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जेएम कक्ष सं0 2 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. रफीक पुत्र मारुफ निवासी विथरिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर, 02.रुस्तम पुत्र फूलदार निवासी सहियापुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा श्रावण मास व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त /चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 18.07.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा श्रावण मास/ कॉवड़ यात्रा व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की चेकिंग की गयी। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।